

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1941 (श0) (सं0 पटना 609) पटना, शुक्रवार, 10 मई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 10 मई 2019

अधिसूचना संख्या-10 / 2019-राज्य-कर (दर)

एस0 ओ0 215 दिनांक 10 मई 2019—बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या -554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:- उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्टि में जहां- जहां भी अंक "10" आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ii) अनुबंध IV में, अंक "10" के स्थान पर अंक "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[(सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/ विविध-21/2017 (खंड-6) 10)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

10 मई 2019

एस0 ओ0 215 दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/ विविध-21/2017 (खंड-6) 10)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th May 2019 Notification No. 10/2019-State Tax (Rate)

S.O. 215 Dated 10th May 2019.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Commercial Taxes Department notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette *vide* number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters "10th", wherever they occur, the figures and letters "20th" shall be substituted;
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters " 10^{th} ", at both the places where they occur, the figures and letters " 20^{th} "shall be substituted.
- 2. It shall come into force from the date of its publication in the official gazette [(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-6)10)]

 By the order of Governor of Bihar,

 Dr. Pratima,

 $Commissioner\ State\ Tax-cum-Secretary.$

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 609-571+10 डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in